प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,पी0आई0यू0—2,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट,।

ई-मेल— eepmgsykapkot@rediffmail.com

पत्रांक:— 306 /ग्रा0नि0वि0/पी0एम0जी0एस0वाई0/2023—24, दिनांक:— 14/06/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय:— जनपद बागेश्वर मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बागेश्वर—कपकोट—तेजम मोटर मार्ग के किमी0 57 से बड़ीपन्याली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.42 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन। (प्रस्ताव संख्या—FP/ UK/ ROAD/28915/2015)

सन्दर्भ:— भारत सरकार के पत्रांक संख्या 08 बी0/यू0सी0सी0/06/114/2018/एफ0सी0/285, दिनांक 09.06.2020

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बागेश्वर—कपकोट—तेजम मोटर मार्ग के किमी0 57 से बड़ीपन्याली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.42 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्यॉ प्रस्तुत की गई है :—

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ऑख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली गयी है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण:**	
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.84 है0 अवनत वन भूमि कफलटौक कक्ष न0 12 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.84 है0 अवनत वन भूमि कफलटौक कक्ष न0 12 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा एवं स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि नहीं की जायेगी।
	(ख) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है (प्रमाण पत्र संलग्न)।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी की दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा कर दी गयी है।

DK

Scanned with OKEN Scanner

5	के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556, दिनांक 30.10.2002, 01.08.203,28.03.208, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मा0 मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.42 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	... भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556, दिनांक 30.10.2002, 01.08.203,28.03.208, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मा0 मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003,एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007 -एफ0सी0 दिनांक05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.42 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
7	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cuttong and commencement of work before Stage II approval as per guidelins para 11-2 The State Govt. will Strictly monitor and ensure that no further avtivity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान किसी भी पेड़ को नहीं काटा गया है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल पर (https://parivesh-nic-in.) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/जमा किये जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल पर (https://parivesh-nic-in.) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। पत्र संलग्न
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला क्लैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला क्लैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है। पत्र संलग्न
10	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचोंबीच पौधों की संख्या बड़ायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचोंबीच पौधों की संख्या बड़ायेगा। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर गति विनियमन साईनेज लगा दिये गये है।
12	सी0डब्ल्यू0एल0डब्ल्यू0/एन0बी0डब्ल्यू0एल0,फ0ए0सी0, आर0ई0सी0 की शिफारिसों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	सी0डब्ल्यू0एल0डब्ल्यू0/एन0बी0डब्ल्यू0एल0,फ0ए0सी0, आर0ई0सी0 की शिफारिसों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
13	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।
14	केन्द्र की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	केन्द्र की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है।

DK

Scanned with OKEN Scanner

16	अन्य स्त्रोंत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	किसी अन्य स्त्रोंत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया गया है।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन कर दिया गया है।
18	परियोजना कार्य के निस्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निस्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित कर दिया गया है।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजन हेतु नहीं किया गया है।
21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की गयी है।
22	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या **11-42/2017-FC** दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाहीं होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या **11-42/2017-FC** दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाहीं हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंने पर प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
24	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलुवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलुवा नहीं फैंका जायेगा।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलुवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार ही किया गया है एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलुवा नहीं फैंका गया है।
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता एजेंसी ले ली जायेगी।
26	अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in.) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in.) पर अपलोड कर दी गयी है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 04–04 प्रति में।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।

DK